बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—::संकल्प::—

पटना—15, दिनांक 29-...

श्री राजमंगल राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक—504/11 को जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 14.09.2006 को परिवादी श्री हरेन्द्र सिंह से 20,000/—(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्री राम के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०—052/2006 दिनांक 13.09.2006 दर्ज हुआ। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक—2261/गो० दिनांक 17.09.2006 द्वारा उक्त सूचना प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक—11433 दिनांक—11.11.2006 द्वारा श्री राम को हिरासत की तिथि (दिनांक 14.09.2006) के प्रभाव से निलंबित किया गया। उक्त कृत्य में निहित आरोपों के लिए श्री राम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री राम का स्पष्टीकरण (दिनांक 03.05.2008) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपना बचाव प्रस्तुत किया। सम्यक् विचारोपरांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली—2005 के नियम—17(2) के आलोक में संकल्प ज्ञापांक—6639 दिनांक 10.07.2009 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया।

2. कालान्तर में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें विश्लेषणात्मक स्थिति प्रस्तुत करते हुए श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित दर्शाया गया। विभागीय पत्रांक—933 दिनांक 25.01.2017 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री राम से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। इस हेतु पत्रांक—1800 दिनांक 15.02.2017 द्वारा स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात श्री राम ने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 23.02.2017) समर्पित किया, जिसमें आरोपों का प्रतिकार करते हुए स्पष्ट किया किया कि उन्होंने ट्रक सं०—UP 78 H-2699 जब्त नहीं किया था और न श्री हरेन्द्र सिंह उसके मालिक थे। स्पष्टीकरण में आगे उल्लेख किया गया कि उन्होंने ट्रक सं०—UP 78 N-2699 जब्त करते हुए ओवर लोडिंग एवं अन्य त्रुटियों के लिए अर्थ दंड लगाया था। इस क्रम में उनके द्वारा रिश्वत की माँग नहीं की गई थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल ने अकारण उन्हें गिरफ्तार किया।

3. आरोप, प्रपत्र—'क', संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि श्री राम द्वारा जब्त किये गये ट्रक के नम्बर में भिन्नता का तथ्य मात्र टंकण भूल थी। यथा आरोप पत्र में UP 78 N के स्थान पर UP 78 H अंकित हो गया परन्तु इससे जाँच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आरोपित पदाधिकारी ने वाहन मुक्ति आदेश बुक में प्रविष्टि करने संबंधी साक्ष्य के आधार पर रिश्वत माँगने के आरोपों का प्रतिकार किया है। जबकि इसके पूर्व उनके द्वारा जुर्माना की राशि का रसीद निर्गत करने संबंधी कार्रवाई नहीं की गयी। जिससे रिश्वत माँगने एवं लेने की घटना/औचित्य की पुष्टि होती है। इसके साथ ही गिरफ्तार किये जाने के बाद रूपये की बरामदगी एवं उनके हाथ में लगे रसायन के धोवन की पुष्टि गवाहों द्वारा किये जाने से भी रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित हुआ है। इस संबंध में श्री राम द्वारा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली—1976 के नियम—3 में प्रावधान है कि हर सरकारी सेवक सदा :—

(i) पूरी शील निष्ठा रखेगा।
(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा।
(iii) ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है।

इसके साथ ही नियम—14 में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी सेवक प्रीतिदान या आर्थिक लाभ स्वीकार नहीं करेगा।

वस्तुतः श्री राम को जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में अपने विहित दायित्व का निर्वहन करना था। परन्तु उनके द्वारा नियमानुकूल कार्य नहीं किया गया एवं जब्त ट्रक को मुक्त करने हेतु रिश्वत ली गयी जो विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित हुआ। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक—2290 दिनांक 12.12.2014 द्वारा उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०—52/2006

दिनांक 13.09.2006 में एतद्संबंधी आरोप सत्य पाये गये एवं इसके आलोक में विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में आरोप पत्र सं०–72/2006 दिनांक 11.11.2006 समर्पित हुआ। विधि विभाग के आदेश सं०–4201 दिनांक 11.11.2006 द्वारा उक्त कांड में अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत हो चुका है। इस प्रकार श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाये गये।

4. सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम के विरूद्ध **"सेवा से बर्खास्तगी का दंड"** विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक–5060 दिनांक 27.04.2017 द्वारा उक्त दंड के प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की माँग की गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्णपीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में सहमति प्रदान की गयी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–677 दिनांक 28.06.2017 द्वारा प्राप्त हुआ।

5. बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्ति के उपरांत श्री राजमंगल राम, बि०प्र०से० के **"सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी)"** संबंधी संलेख/प्रस्ताव (विभागीय ज्ञापांक–8738 दिनांक 17.07.2017) राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेजा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18.07.2017 को सम्पन्न बैठक में उक्त दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत श्री राजमंगल राम, बि0प्र0से0, को0क्र0–504/11 को **"सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी)" का** दंड संसूचित किया जाता है।

7. श्री राम के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से कार्रवाई की जायेगी।

आदेशः–**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–08/नि0था0–11–20/2014 सा०प्र०, .../**पटना, दिनांक**..........

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–677 दिनांक 28.06.2017 के क्रम में/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/श्री राजमंगल राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–504/11, (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14,/चारित्री कोषांग एवं आई0 टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।